न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 20/2016

विजय सिहं पुत्र दाताराम जाति जाट निवासी बास माना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू राज.
—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुपरवाटी ,जिला झुन्झुनू (राज0)।
—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय 29.01.2016 न्यायालय नायब तहसीलदार
गुढा गौड़जी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम विजय सिहं
अं0 धारा 91 एल0 आर0 एक्ट मुकदमा नंबर 13/2016

उपस्थितिः—

1 .श्री विजयपाल सिहं, एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ——————राज0 सरकार की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक 27.09.2017

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 29.01.2016 मुकदमा नंबर 13/2016 बमुकदमा उनवानी सरकार, बनाम विजय सिंह अं0 धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत ने उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का के कोई बयान हल्फिया लेखबद्ध नही किए, क्योकि अपीलान्ट गैरसायल ने अपनी जबाबदेही में स्पष्ट उल्लेख किया है कि भूमि खसरा नम्बर 356/188 कुल किता 1 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बंजड प्रथम वाके ग्राम बास माना तन भाटीवाड़ पर कोई अतिक्रमण नही किया है तथा पटवारी हल्का ने झुठी रिपोर्ट पेश की है इसलिए जबाब देहन्दा के विरूद्ध में मुकदमा काबिले खारिज है इसलिए पटवारी हल्का को अपने हल्फीया बयान के द्वारा अपीलान्ट गैरसायल के विरूद्ध में उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित किया जाना लाजमी था

परन्तु पटवारी हल्का ने ऐसा नही किया है इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध में उक्त भूमि विवादास्पद पर अपीलान्ट का अतिक्रमण नही होने के कारण अदालत हाजा के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 मय खर्चा काबिले खारिज है। अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है इसलिए उक्त भूमि खसरा नंबर 356/188 कुल किता 1 रकबा 0.04 हैक्टर बंजड़ प्रथम वाके बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी काबिले नियमन बहक अपीलान्ट है इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने नियमन कमेटी उपखण्ड कार्यालय उदयपुरवाटी के समक्ष भिजवाकर नियमन की सिफारीश नही कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 मय खर्चा काबिजे खारिज है। अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में जब अपीलान्ट ने 20.01.2016 को जबाब दही प्रस्तुत कर दी तब आईन्दा तारीख पेशी 25.01.2016 बताई गई थी उसके बाद में अपीलान्ट को उक्त प्रकरण की आईन्दा तारीख पेशी 25.01.2016 की नही बताई गई इस वजह से 29.01.2016 की जानकारी बरोज निर्णय अपीलान्ट को नही सका परन्तु दिनांक 15.01.2016 को जब भू–अभिलेख निरीक्षक गुढ़ा गौड़जी ने ग्राम बास माना में जाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 356/188 रकबा 0.85 हैक्टेयर बंजड़ प्रथम में से 0.04 हैक्टेयर पर खड़ी सरसो की फसल को कुर्क की गई और निलाम की गई परन्तु उक्त कार्यवाही अपीलान्ट की मौजूदगी में नही की गई इसलिए अपीलान्ट को उक्त कार्यवाही की जानकारी दिनांक 15.01.2016 को नही हो सकी परन्तु दिनांक 29.02.2016 को उक्त भूमि पर खड़ी फसल को निलामी में बजरंगलाल पुत्र हनुमानराम जाति जाट निवासी बास माना ने दिनांक 15.01.2016 को उक्त भूमि पर खडी फसल को 60/– रूपयें निमामी में खरीदना बताया और अपीलान्ट को फसल काट कर ले जाने की धमकी दी जिस पर अपीलान्ट ने दिनांक 04.03.2016 व 09.03.2016 को कार्यालय उप तहसील गुढ़ा गौड़जी में जाकर उक्त प्रकरण से संबंधित निर्णय दिनांक 29.01.2016 की नकल 09.03.2016 को प्राप्त हुई तब अन्तिम रूप से उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 की जानकारी अपीलान्ट को हुई और फिर अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता श्री विजयपाल सिहं एडवोकेट झुन्झुनू से सलाह मशविरा किया तब उन्होने उक्त प्रकरण में पारित उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 की अपील दायर करनी बताई और अब अपीलान्ट यह अपील श्रीमान्जी अदालत हाजा में प्रस्तुत की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाकर योग्य अदालत मातहत नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी उप तहसील गुढ़ा गौडजी द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 29.01.2016 को खारिज फरमावें और उक्त भूमि के रकबा 0.04 हैक्टेयर का अपीलान्ट के हक में नियमन किया जाना फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अपीलान्ट भूमिहीन व्यक्ति है इसलिए उक्त भूमि खसरा नंबर 356/188 कुल किता 1 रकबा 0.04 हैक्टर बंजड़ प्रथम वाके बास माना तन भाटीवाड़ तहसील उदयपुरवाटी काबिले नियमन बहक अपीलान्ट है इसके बावजूद योग्य अदालत मातहत ने नियमन कमेटी उपखण्ड कार्यालय उदयपुरवाटी के समक्ष भिजवाकर नियमन की सिफारीश नही कर अहम कानूनी भूल की है इसलिए भी योग्य अदालत मातहत के द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांकित 29.01.2016 काबिजे खारिज है। तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा उसे विधिवत सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत निर्णय किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हल्का पटवारी भाटीवाड़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने भूमि खसरा नंबर 356/188 कुल किता 1 रकबा 0.04 हैक्टर बंजड़ प्रथम वाके बास माना तन भाटीवाड पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैद्य हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट में कोई बल नहीं होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी का निर्णय दिनांक 29.01.2016 सरकार बनाम विजय सिंह मु0नं

13/2016 याथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुन्नीराम बागड़िया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू